"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2013—आषाढ़ 27, शक 1935

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-30/2012/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 2 के सामने कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाइप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 3 के सामने कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 4 के सामने कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

4. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 5 के सामने कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए—** हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए—** अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए—** उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-35/2012/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-30/2012/मबावि/50, दिनांक 18-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

Raipur, the 18th July 2013

NOTIFICATION

No. F 1-30/2012/wcd/50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments of the Chhattisgarh Women & Child Development Department, Class-III (Ministerial) (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

1. For the entries relating to column (6) against Serial number 2 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. For the entries relating to column (6) against Serial number 3 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year examination of Graduation Course from any recognized University.

OR

Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For the entries relating to column (6) against Serial number 4 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Date Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

4. For the entries relating to column (6) against Serial number 5 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :—

(a) **For Stenographer (Hindi)** — Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)**— Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer**— Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBRAT SAHOO, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.